संख्या-81/2022/1647/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 जुलाई 2022

विषय:- जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराषि एवं वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहयोग दिये जाने हेतु धनराशि योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 एकाउन्ट में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-120/01/ज0जा0वि0/2022-23, दिनांक-15.07.2022 एवं पत्र संख्या-119/76/ज0जा0वि0/वीकेवाई/2022-23, दिनांक-15.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराषि एवं वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहयोग दिये जाने हेतु धनराशि योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 एकाउन्ट में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मेंप्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराषि के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराषि रू0-65,42,868/- (रूपये-पैसठ लाख बयालीस हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) एवं वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति के लोगों को लघुवन उपजों के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण तथा सहयोग दिये जाने हेतु धनराशि रू0-10.50 लाख (रूपये-दस लाख पचास हजार मात्र) एस0एन0ए0 खाते में जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि के व्यय की अनुमति पृथक से शासन प्राप्त की जायेगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुरोनिधानित योजनांए-0107- बिखरी आबादी वाली जनजातियों का कल्याण-20-सहायता अनुदान एवं लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना (केन्द्राषं 100 प्रतिषत)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त ई-4-121-X-2022-23, दिनांक-20 जुलाई, 2022 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृसं0-81 /2022/1647 (1)/26-3-2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।